निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबड़ा जिला बारां द्वारा अध्यासित

करण संख्या 22 / 2024
दायरा दिनांकः– 22.4.2024
निर्णय दिनांकः– 26.08.2025

उनवान

1. अनिता पत्नी जयप्रकाश निवासी रींझा हाल मुकाम गायत्री नगर अटरू तह. अटरू जिला बारां (राज.)
2. राहुल पुत्र जयप्रकाश, नाबालिग संरक्षक जर्ये वली माता अनिता निवासी रींझा हाल मुकाम गायत्री नगर अटरू तह. अटरू जिला बारां (राज.)
3. रश्मि पुत्री जयप्रकाश, नाबालिग संरक्षक जर्ये वली माता अनिता निवासी रींझा हाल मुकाम गायत्री नगर अटरू तह. अटरू जिला बारां (राज.)

..... प्रार्थीगण

बनाम

1. जयप्रकाश पुत्र जगमोहन जाति ब्राह्मण निवासी रींझा
2. बृजेन्द्र कुमार पुत्र जगमोहन जाति ब्राह्मण निवासी रींझा तह. छबड़ा
3. भंवरलाल पुत्र जगमोहन जाति ब्राह्मण निवासी रींझा तह. छबड़ा
4. लक्ष्मीनारायण पुत्र जगमोहन जाति ब्राह्मण निवासी रींझा तह. छबड़ा जिला बारां (राज.)
5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब तह. छबड़ा जिला बारां (राज.) अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट
निर्णय दिनांकः– 26.08.2025

अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री ओमप्रकाश सुमन – प्रार्थी
2. श्री राकेश गालव – अप्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि अप्रार्थी क्रम 1 के दादा जगन्नाथ के खातेदारी की भूमि खाता संख्या नया 45 पुराना 44 के खसरा नं. 182 का रकबा 0.6956 है., खसरा न. 66 का रकबा 3.4651 है. कुल किता 2 रकबा 4.1607 हैक्टर वाके माल रीझा तह. छबड़ा जिला बारां (राज.) में अवस्थित है। जिसकी खतौनी बन्दोबस्त सम्वत 2034–2036, 2038–2041 एवं 2043–2046 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। खातेदार जगन्नाथ पुत्र तुलसीराम के स्वर्गवास हो जाने के पश्चात जगमोहन के नाम जमाबन्दी दर्ज होने के बाद जगमोहन द्वारा अपने पुत्रों को उक्त आराजीयात में से बराबर हिस्सा दर्ज करवा दिया गया है जिसमें अप्रार्थी क्रम 1, प्रार्थिया क्रम 1 का पति व प्रार्थी क्रम 2 व 3 का पिता है। अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

1/5

के दादा तीन भाई थे जिनमे जगन्नाथ के कोई औलाद नहीं थी तो जगन्नाथ ने अपने सगे भाई तुलसीराम के बड़े लड़के जगमोहन को गोद रखा था और जगन्नाथ की संपत्ति जगमोहन को प्राप्त हुई थी। जगमोहन द्वारा अपने मूल पिता तुलसीराम की संपत्ति/भूमि में से कोई हिस्सा नहीं लिया गया था, तुलसीराम की संपत्ति का अन्य भाइयों में बंटवारा कर लिया गया था। जगन्नाथ से प्राप्त संपत्ति में अप्रार्थी क्रम 1 व प्रार्थीगण का जन्म से हक़ व हित नियत था क्योंकि जगमोहन की शादी भी जगन्नाथ द्वारा की गई थी और जगन्नाथ को उक्त भूमि विरासत से प्राप्त होने से प्रार्थीगण को पैतृक संपत्ति में हक़ अधिकार प्राप्त है। विवादित संपत्ति पैतृक संपत्ति है जिसमे प्रार्थिया क्रम 1 को विवाह के बाद व प्रार्थी क्रम 2 व 3 को जन्म से अधिकार प्राप्त है, परन्तु उक्त आराजी अप्रार्थीगण के पिता द्वारा समान रूप से अपने पुत्रों के नाम करवा दी गई जिनमें अप्रार्थी क्रम 1 प्रार्थिया के पति का नाम दर्ज होने से प्रार्थना पत्र की मद न. 2 में वर्णित आराजीयात पर अप्रार्थी क्रम 1 की आराजी पर प्रार्थीगण का हिस्सा पैतृक आराजी होने से बनता है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण जन्म से हिन्दू है जो मिताक्षरा विधि से शासित होते है तथा उन पर उत्तराधिकार अधिनियम 1956 लागू होता है। विवादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी क्रम 1 ता 4 के सन्दर्भ में सहदायिका सम्पत्ति है जो प्रार्थिया क्रम 1 एवं अप्रार्थी क्रम 2 ता 4 के दादाजी जगन्नाथ जी की मृत्यु उपरान्त प्राप्त हुई है। इस कारण जन्म से ही उक्त आराजीयात सहदायिका संपत्ति होने के कारण प्रार्थीगण सहदायिका है। उक्त आराजी में प्रार्थिया क्रम 1 व उसके नाबालिग पुत्र–पुत्री को जन्म से हित व हक़ प्राप्त है इस कारण विवादग्रस्त आराजी में अप्रार्थी क्रम 1 के खातेदारी की आराजी में प्रार्थीगण का 3/4 हिस्सा बनता है। अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा प्रार्थीगण का परित्याग कर रखा है और स्वयं अप्रार्थी क्रम 2 ता 4 के साथ निवास कर रहा है तथा अपने पुत्र व पुत्री की शिक्षा दीक्षा व प्रार्थीगण का भरण पोषण नहीं कर रहा है जिससे प्रार्थीगण के भूखे मरने की नौबत आ गई है। अप्रार्थी क्रम 1 अप्रार्थी क्रम 2 ता 4 के बहकावे में आकर अपने नाम दर्ज आराजीयात को किसी के भी नाम दर्ज करवा सकता है जिससे प्रार्थीगण को अपने हिस्से से महरूम होना पड़ेगा, जिससे प्रार्थीगण के साम्पतिक अधिकार प्रभावित होंगे। जिसकी भरपाई किया जाना संभव नहीं है। प्रार्थना पत्र की मद न. 2 में वर्णित आराजी में प्रार्थिया क्रम 1 ने प्रार्थीगण के हिस्से की आराजी को दिनांक 01/04/2024 को अपने नाम खाता दर्ज करवाने व राजस्व रिकॉर्ड में अलग से अंकन करवाने का निवेदन अप्रार्थी क्रम 1 से किया तो उसने मना कर दिया और लड़ाई झगड़े पर आमादा हुआ तथा आराजी को रहन बेचान कर खुर्द–बुर्द करने की धमकी दी। बिना सहायता न्यायालय अप्रार्थी क्रम 1 को उसके अवैध कृत्य से रोका जाना संभव नहीं है। यदि खाते में प्रार्थीगण का नाम दर्ज नहीं किया गया तो अप्रार्थी क्रम 1 खाते में अपना नाम दर्ज होने का लाभ उठाकर आराजी को रहन बेचान कर खुर्द–बुर्द कर देगा जिससे प्रार्थीगण को पैतृक संपत्ति/आराजी में चले आ रहे हक अधिकारों से वंचित होना पड़ेगा। जिससे प्रार्थीगण को अपरिमित क्षति होगी। जिसकी पूर्ति बाद में अन्य प्रकार से होना संभव नहीं होगी। अतः प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र की मद न. 2 में वर्णित आराजी में अपने हिस्से 3/4 का अंकन राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है एवं अप्रार्थी क्रम 1 को जर्ये आदेशात्मक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने के अधिकारी है कि वह प्रार्थना पत्र की मद न. 2 में वर्णित आराजी को कहीं रहन बेचान व खुर्द–बुर्द नहीं करे ऐसा कृत्य न तो स्वयं करे और न ही अपने प्रतिनिधियों से करावे, रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब पेश हुआ। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन मे नकल जमाबंदी ग्राम रींझा सम्वत 2075–78 खाता सं. 45, नकल जमाबंदी ग्राम रींझा सम्वत 2034–37 खाता सं. 24, नकल जमाबंदी ग्राम रींझा सम्वत 2043–46 खाता संख्या 39, नकल जमबंदी ग्राम रींझा सम्वत 2038–41 खाता सं. 26 पेश की गई।

अप्रार्थीगण की ओर से जवाब पेश हुआ। अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब मे बताया कि प्रार्थीया कम 1 ने प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे जिस सम्पत्ति को पैत्रक सम्पत्ति बताकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है असल मे वाद ग्रस्त सम्पत्ति पैत्रक जायदाद नही है। प्रार्थीगण ने गलत तथ्यो को आधार बनाकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थीगण द्वारा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 का हवाला देकर पैत्रक सम्पत्ति मे जो हक व अधिकार मांगे है वह हक व अधिकार केवल मात्र पैत्रक जायदाद पर ही उत्पन्न होते है। वाद ग्रस्त सम्पत्ति अप्रार्थी कम 1 से लगायत 4 की स्वर्जित सम्पत्ति है। स्वर्जित सम्पत्ति मे अप्रार्थी कम 1 लगायत 4 का पूर्ण हक व मालिकाना अधिकार है। जिसको अप्रार्थीगण अपनी स्वतंत्र सहमति से किसी भी व्यक्ति को किसी भी रूप में अन्तरण करने को स्वतंत्र है। प्रार्थी कम 1 अप्रार्थी कम 1 की विवाहिता पत्नि है जिसने अप्रार्थी कम 1 को पागल पन का हवाला देकर परित्याग कर रखा है। और अपने पिता के घर में आजादी से रहती है। पति की सेवा व देखभाल नही करती है। और आये दिन अप्रार्थी कम 1 के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कर दबाव बनाकर पैसे ठगने का कार्य करती है। प्रार्थीगण को अप्रार्थी कम 1 न्यायालय आदेश के मुताबिक भरण पोषण राशि नियमित अदा कर रहा है प्रार्थी कम 1 चालक किस्म की महिला है जो अप्रार्थी कम 1 को परित्याग कर अपने पीहर चली गई है। और अब अपने पिता की बातो मे आकर अप्रार्थी कम 1 की सम्पत्ति को हड़पना चाहती है इसलिए झूठे तथ्यो को आधार बनाकर यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। जो खारिज होने योग्य है। वाद ग्रस्त सम्पत्ति प्रतिवादी कम 1 लगायत 4 की स्वर्जित सम्पत्ति है जिसमे अप्रार्थी कम 1 लगायत 4 के जीवनकाल मे कोई व्यक्ति किसी भी रूप में हिस्से बंटवारे की मांग नही कर सकता है। इसलिए कानूनी अधिकारो के अभाव मे वाद खारिज किये जाने योग्य है।

बहस अभिभाषक उभयपक्षकारान सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम रींझा तहसील छबडा मे स्थित है। खातेदार जगन्नाथ पुत्र तुलसीराम का स्वर्गवास हो जाने के पश्चात भूमि जगमोहन के नाम दर्ज हुई। अप्रार्थीगण के दादा 3 भाई थें। जगन्नाथ के कोई औलाद नही थी, जगन्नाथ ने अपने सगे भाई तुलसीराम के बडे लडके जगमोहन को गोद रखा था। जगन्नाथ की सम्पत्ति जगमोहन को प्राप्त हुई थी। जगमोहन ने

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

अपने मूल पिता तुलसीराम से उनकी भूमि में कोई हिस्सा नही लिया। तुलसीराम के खाते की भूमि का बंटवारा अन्य भाईयों मे कर दिया गया था। जगन्नाथ को उक्त भूमि विरासत से प्राप्त होने के कारण प्रार्थीगण को पैतृक सम्पत्ति मे हक प्राप्त है। विवादित आराजी पैतृक सम्पत्ति है जिसमे प्रार्थिया क्रम 1 को विवाह के बाद व प्रार्थी क्रम 2 व 3 को जन्म से अधिकार प्राप्त है। अप्रार्थी क्रम 1 जयप्रकाश का नाम विवादित भूमि मे दर्ज होने से प्रार्थीगण अपना हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी है। विवादित आराजी सहदायिकी सम्पत्ति है जो प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी क्रम 2 ता 4 के दादाजी जगन्नाथ की मृत्यु उपरान्त प्राप्त हुई है। प्रार्थिया विवादित आराजी मे अपना 3/4 हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी है। अप्रार्थीगण उक्त विवादित आराजी को रहन, बेचान व खुर्द–बुर्द करने पर आमादा है। प्रार्थीगण को पेतृक आराजी मे चले आ रहे हक अधिकारों से वंचित करना चाहते है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

बहस के दौरान वकील अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील अप्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी पैतृक सम्पत्ति नही है। प्रार्थिया द्वारा पैतृक सम्पत्ति बताकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण द्वारा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 का हवाला देकर पैतृक सम्पत्ति मे हक व अधिकार प्राप्त करना चाहती है। वह हक अधिकार मात्र पैतृक सम्पत्ति तक ही उत्पन्न होते है। विवादित आराजी अप्रार्थीगण द्वारा स्वअर्जित सम्पत्ति है। स्वअर्जित सम्पत्ति मे अप्रार्थी गण का पूर्ण हक व अधिकार है। अप्रार्थीगण अपनी सम्पत्ति को सहमति से किसी को भी अंतरण करने को स्वतंत्र है। प्रार्थी क्रम 1 अप्रार्थी क्रम 1 की विवाहिता पत्नी है। अप्रार्थी क्रम 1 को पागल बताकर परित्याग कर रखा है। तथा अपने पिता के घर निवास कर रही है। पति की सेवा व देखभाल नही करती है। अप्रार्थी क्रम 1 जयप्रकाश के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कराकर दबाव बनाती रहती है। प्रार्थीगण को जयप्रकाश द्वारा न्यायालय के आदेश के मुताबिक भरण पोषण राशि नियमित अदा कर रहा है। प्रार्थिया चालाक किस्म की महिला है। जो अपने पति को परित्याग कर अपने पिता के यहा चली गई है। अपने पिता की बातों मे आकर अप्रार्थी क्रम 1 की सम्पत्ति को हडपना चाहती है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

बहस अभिभाषक उभयपक्षकारान सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अध्योपान्त अध्ययन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबंदी ग्राम रींझा सम्वत 2075–78 खाता सं. 45 मे अप्रार्थीगण के शामलाती खातेदारी मे दर्ज है। नकल जमाबंदी ग्राम रींझा सम्वत 2034–37 खाता सं. 24, नकल जमाबंदी ग्राम रींझा सम्वत 2038–41 खाता सं. 26 में जगन्नाथ , तुलसीराम पिसरान उदयलाल कोम ब्राहम्ण साकिन सोनी बतौर खातेदार दर्ज है। नकल जमाबंदी ग्राम रींझा सम्वत 2043–46 खाता सं. 39 मे भंवरलाल, बृजेन्द्र कुमार, लक्ष्मीनारायण, जयप्रकाश पिसरान जगमोहन के नाबालिग वली श्रीमती कमलाबाई पत्नि

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

जगमोहन बतौर खातेदार दर्ज है। यह भी विचारणीय है कि प्रार्थना पत्र मे मुख्य विषय यह है कि भूमि पैतृक है या नही क्योकि यह तथ्य निर्विवाद है कि अप्रार्थी क्रम 1 के पुत्र वादी क्रम 2 व 3 का पैतृक सम्पत्ति में जन्म से हिस्सा निहित है जमाबन्दी सम्वत् 2034–37 एवं सम्वत् 2038–41 में जगन्नाथ व तुलसीराम के नाम दर्ज है एवं सम्वत् 2075–78 में भूमि अप्रार्थीगण के नाम दर्ज हुई है। अर्थात् विवादित आराजी प्रथम दृष्टया पैतृक सम्पत्ति है अप्रार्थीगण द्वारा भूमि स्वअर्जित होने के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है अतः उपरोक्त के क्रम में प्रार्थीगण का भूमि में प्रथम दृष्टया अधिकार निहित होने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट स्वीकार किया जाना न्यायोचित हैं

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है अप्रार्थीगण को मूल वाद निस्तारण तक जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी वाके ग्राम रींझा तहसील छबडा के खसरा नम्बर 182 रकबा 0.6956 है0 खसरा नम्बर 66 रकबा 3.4651 है0 पर मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर ए एस
उपखण्ड अधिकारी, छबडा

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)